OK

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, जयपुर (नगर विकास परियोजनाएं)
(जयपुर विकास प्राधिकरण - भवन, जयपुर)

क्रमांक: भू०अ०नि०वि/91/ दिनांक: 19.6.91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम किशनावाला तहसील जयपुर में भूमि अवाप्ति बाबत में (पृथ्वीराज नगर योजना)

मुकदमा नं.		मुकदमा नं०	
1.	341/88	15.	336/88
2.	355/88	16.	358/88
3.	331/88	17.	335/88
4.	354/88	18.	332/88
5.	338/88	19.	368/88
6.	337/88	20.	343/88
7.	366/88	21.	340/88
8.	347/88	22.	342/88
9.	330/88	23.	367/88
10.	348/88	24.	339/88
11.	334/88	25.	353/88
12.	351/88	26.	363/88
13.	365/88		
14.	349/88		

:: अवार्ड ::

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या - 1) की धारा -4(1) के तहत क्रमांक प-6(15) न.वि.आ/11/87 दिनांक 6.1.88 तथा गजट प्रकाशन राजपत्र राजस्थान 7 जुलाई, 1988 को कराया गया है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5 ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6(15)नविआ./3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 31 जुलाई, 1989 को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा-6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम किशनावाला तहसील जयपुर में अवाप्ति अधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है।

क्रमश:---2/पर------

क्र.सं.	मुकदमा नं.	ख.नं.	अवाप्ति रकबा	खातेदार का नाम
1	2	3	4 बी. बि.	5
1.	341/88	61	00-02	गैदोलाल, गुल्लाराम, बोदूराम, बंशालाल, नानूराम, लालाराम, चंदालाल, रामधन्ना लाल, पि. लच्छा जाति जाट, हनुमान पु. रघुनाथ कि. 1/3 जीवनी बेवा, बनुता जाट 1/3 सा. देह.
		63	00-10	
		68		
		70		
		71		
		72		
		73	38-09	
		89	04-10	
		90	00-01	
			43-12	
2.	355/88	67	21-11	नारायण पु. गणेश जाट सा. देह
3.	331/88	13	00-03	लल्लूराम, मूलचंद, रूगनाथ, जगदीश पाचूराम, पि. घीस्या, धावला, छोट भाउडा पि. रामदेव 1/4 नानचा पु. किशना 1/2, गंगाराम, भोला पि. काना 1/4 जाति माली क. खातेदार.
4.	354/88	96/122	0-02	कल्याण पु. सावता 1/4 छोट पु. रामदेव 1/4 मुरली भूरी पु. कालु 1/4 गिरधारी पु. लक्ष्मीनारायण 1/4 सा. देह.
		96/123	0-03	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	338/88	56	2-04	गैदोलाल, गुल्लाराम, बोदूराम, बंशालाल नानूराम, लालाराम, चन्दालाल, राम, धन्नालाल पि. लच्छा जाति जाट
		56/114	0-02	
		58	2-14	
		62	1-01	
		79	2-14	
			8-15	

जयपुर

क्रमशः-----3/पर-------

क्र•सं•	मुकदमा नम्बर	ख•न•	अवाप्त रकबा	खातेदार का नाम
1•	2•	3•	4• बी• बि•	5•
6•	337/88	30	10-19	रामप्रताप पुत्र नारायण जाति जाट सा• देह
		33	6 -05	
		52	14-19	
		42/113	0-01	
			32-04	
		32	7-16	मोहनलाल पुत्र नारायण 1/2 काना
		34	4-11	पुत्र नारायण दत्तक पुत्र चुन्नीलाल 1/2 कोम जाट।
		35, 36	7 -08	
		37	0-03	
		38•	3-15	
		39	0-04	
		40	0-11	
		41	0-08	
		42	0-12	
		43	5-18	
		44-	1-06	
		47	1-03	
		48, 49	4-14	
			38-09	
		54	0-01	रामप्रताप, लल्लूराम पुत्र नारायण जाट हि• ब•
		31	18-15	लल्लूराम पुत्र नारायण जाति जाट सा• देह
		55	6-12	
		91	2-13	
		51	~~6-08~~	
			34-08	
7•	353/88	96/121	0-03	कल्याण पुत्र छोटू सा• सा• देह
8•	339/88	57	4-13	जीवणी धर्म पत्नी केवा हनुता जाट•
		59, 60	2-10	
		75	1-12	
			8-15	

क्रमश:----4/पर-----

क्र.सं. 1.	मुकदमा नं. 2.	ख.नं. 3.	अवाप्ति रकबा 4. बी. बि.	खातेदार का नाम 5.
9.	367/88	46	0-11	विनायक चक विहार नगरी/ ठिकानेदार जयपुर
		64	0-15	
		103 104	0-14	
			2-00	
10.	340/88 342/88	66	9-09	हनुमान पुत्र रघुनाथ जाति जाट सा. देह.
		76	2-17	
		77 78	1-03	
		80	6-09	
			19-18	
11.	343/88	14	0-03	नानगा पुत्र किशना माली
		15	0-01 0-9	
		16	3-18	
		21	4-16	
			8-18	
12.	368/88	105/143	0-05	श्रीमती प्यारसी देवी धर्मपत्नी श्योबक्स बलाई
13.	332/88	1	1-19	जानकी पुत्र किशना माली
14.	335/88	65	8-16	चन्दा पुत्र किशना हि. 2/3, जगदीश रामअवतार, गोपाल, पिता राम-नारायण को. जाट
		83	0-05	
		84	0-11	
		85	0-02	
		88	8-07	
		92 95/2	3-10	
		66/115	0-02	
			21-13	
15.	358/88	50	6-15	नारायण पुत्र गणेश 1/3 लल्लूराम पुत्र नारायण व रामअवतार पुत्र नारायण 2/3
16.	336/88	23	01-04	लल्लूराम, सुखानन्द, रघुनाथ, जगदीश पाँचूराम, पुत्र भौरया जा. माली सा. देह
	330/89	24	02-00	
		29	7-10	
			10-14	

क्र० सं० 1.	मुकदमा न० 2.	ख०न० 3.	अवाप्ति रकबा 4. बी० बि०	खातेदार का नाम 5.
17.	349/88	105	0-11	भवानी बक्स मानगा बलाई.
		105/137	0-01	
			0-12	
18.	351/88	7	1-14	छोटू पुत्र गंगाराम जाति जाट
19.	365/88	106	25 0-14	दुला, चंदा पि० छ परसा बलाई सा० देह
20.	334/88	86	2-01	चंदा पुत्र बिरदा जाट सा० देह
		87	2-19	
			5-00	
21.	348/88	105/138	0-01	भूरा, छोटू बलाई सा० देह.
		105/139	0-06	
			0-07	
22.	366/88	105/140	0-01	मोवरीया पुत्र बोयता जाति बलाई सा० देह.
	347/88	105/144	0-05	
			0-06	
23.	363/88	96/124	0-03	मुरली पुत्र बीजा, मीणा

मुकदमा नम्बर 341/88 ख०न० 61, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 89, 90

धारा 6 के गजट मे खसरा न0 61, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 89; 90 गेंदीलाल गुल्लाराम, बोदूराम, अंबालाल, मानूराम, लालाराम, चंदाराम, धन्नालाल पिता लच्छा जीवणी बेवा बनुता हनुमान पुत्र रघुनाथ कोम जाट सा० देह के नाम खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा- 9 व 10 के नोटिस 1-12-90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस रघुनाथ पुत्र हनुमान को तामिल कराये। लेकिन दावेदार/खातेदार इस न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुये पुन: रजि०ए०डी० द्वारा दिनांक 25-3-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस जारी किये गये डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार रजि० लेने से इंकार करने की रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त हो गई तथा इसके पश्चात नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों मे दिनांक 11 जून, 1991 को सूचना प्रकाशित की गई। इसके बावजूद भी खातेदार/दावेदार हाजर न उपस्थित नहीं हुए। तदउपरांत खातेदार के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश अमल मे लाये गये।

मुकदमा न0 355/88 ख०न० 67 21 बीघा 11 बिस्वा :

धारा 6 के गजट मे खसरा न0 67 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा नारायण पुत्र गणेश सा० देह के खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 का नोटिस 1.12.90 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार गणेश पुत्र नारायण ने प्राप्त किया जो खातेदार का पुत्र है का तामिल कराये गये। तत्पश्चात रजि०ए०डी० द्वारा दिनांक 22-4-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस

भेजे गये एवं लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हुआ। इसके पश्चात दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स दोनों समाचार-पत्रों में दि० 11-6-91 को प्रकाशन कराया गया इसके बावजूद भी हितदारान/खातेदारान उपस्थित नहीं हुये। आपत्तिकर्ता म्युचल हाउसिंग कोओपरेटिव को भी रजि०पे०डी० एवं तामिल कुनिन्दा के जरिए नोटिस धारा 9 व 10 (a) जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार तामिल हो चुका है। दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन होने के बावजूद भी कोई उपस्थिति नहीं हुआ (अतः) खातेदारान/हितदारान व आपत्तिकर्ता व हाउसिंग सोसायटी व खातेदार के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश अमल में लाये गये।

मुकदमा नं० 331/88/ख०नं० 13:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख०नं० 13 रकबा 3 बिस्वा की लल्लूराम, मूलचन्द, रघुनाथ, जगदीश, पांचूराम पिता छितरया बा ल्या धोकला छोटू भाउडा पि०रामदेवा 1/4, नान्छा पुत्र किशना 1/2, गंगाराम, भोला पि० कानाा, 1/4 जाति माली सा० देह कदीम काश्तकार० के नाम खातेदारी मे दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया, जिसकी तामिल स्वयं कृषक खातेदार छोटे लाल पुत्र गंगाराम को दिनांक 19-2-91 को तामिल कराया गया, तत्पश्चात दिनांक 25-3-91 को रजि० पे०डी० नोटिस तामिल हेतु जारी किं किये गये जो डाकघर की रिपोर्ट लेने से मना के साथ वापिस प्राप्त हो गया तथा हितधारी शाखा प्रबन्धक देना बैंक मैनेजर विजय खन्ना मार्ग एम,आई रोड, जयपुर को भी दिनांक 23-3-91 को धारा 9 व 10 का नोटिस तामि हेतु जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27-5-91 को तामिल हुआ। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान कोई भी उपस्थित नहीं हुए तदुपरांत सूचना खातेदारान/हितदारान को दो समाचार-पत्रों दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स में भी प्रकाशन करवाया गया तब भी खातेदारान व हितदारान उपस्थित नहीं हुए (अतः) दिनांक 12-6-91 को इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

(8) मुकदमा नं० 354/88 ख०नं० 96/122, 96/123 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 96/122, 96/123 कल्याण पुत्र सांवता 1/4, छोटू पुत्र रामदेव 1/4, भूरा पुत्र कालू 1/4, गिरधारी पुत्र लक्ष्मीनारायण 1/4 जाति मीणा सा० देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किए गए तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान द्वारा नोटिस लेने से मना किया। जिस पर दो ग्वाहों के सामने चस्पा किया गया तथा दिनांक 25-3-91 को रजि० पे०डी० नोटिस जारी किया गया जो पोस्ट आफिस की नहीं लेने की रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हुआ तथा दिनांक 25-3-91 को खातेदारान को जारी नोटिस सब कृषक खातेदार कल्याण पुत्र छोटू को तामिल होकर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात दो समाचार-पत्रों दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स में दिनांक 11-6-91 को प्रकाशन किया गया इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उचित उपस्थित नहीं हुए तब इनके विरुद्ध दिनांक 12-6-91 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई

—7/पर—

मुकदमा नम्बर 338/88 खसरा नम्बर 56,58,62,79,56/114 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे क्र.न. 56,58,62,79,56/114 गेंदीलाल, गुल्लाराम, बोदूराम, बंशीलाल, नानूराम, लालाराम, चंदालाल, /राम, धन्नालाल पि. लच्छा जाति जाट सा. देह. काश्तकार के नाम खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक : 1-2-90 को जारी किए गए जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस धन्नालाल पुत्र लच्छा को तामिल हो चुका है। तत्पश्चात खातेदारान को दिनांक 25-3-91 को जि0 ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जो डाकघर से लेने से मना की रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हुए एवं दिनांक 25-3-91 को एक नोटिस फिर जारी किया गया जो मोहनलाल और गेंदीलाल द्वारा प्राप्ति की रिपोर्ट के बाद वापिस प्राप्त हुये। तब भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दो समाचार-पत्रों दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स मे धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 11-6-91 को प्रकाशित करवाई गई फिर भी अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

मुकदमा नम्बर 337/88 क्र.न. 52, ~~54/55~~,04, 42/113, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 30, 32, 54, 31, 55, 91, 51:-

---

मे

धारा 6 के राजस्थान राज पत्र/खसरा नम्बर 30,33,52,42/113 काश्तकार रामप्रताप पुत्र नारायण जाट सा. देह के नाम दर्ज है। क्र.न. 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49 काश्तकार मोहनलाल पुत्र नारायण 1/2 कान्हा पुत्र नारायण दत्तक पुत्र चुन्नीलाल 1/2 जाति जाट के नाम दर्ज है। व क्र.न. 54 खातेदार रामप्रताप, लल्लुराम पुत्र नारायण जाति जाट के नाम दर्ज है और खसरा नम्बर 31, 54, 55, 91 काश्तकार लल्लुराम पुत्र नारायण के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस तामिल कराया गया। तत्पश्चात दिनांक 22-4-91 को धारा 9 व 10 का नोटिस जारी किया एवं रजिस्टर्ड ए0 डी0 द्वारा भेजे गये फिर भी खातेदारान /हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 11-6-91 को दो दैनिक समाचार-पत्रों के माध्यम से दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स मे सूचना प्रकाशित कराई गई। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 12-6-91 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

क्रमशः—8/पर—

मुकदमा नम्बर 338/88 खसरा नम्बर 56,58,62,79,56/114 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख॰न॰ 56,58,62,79,56/114 गदीलाल, गुल्लाराम, बोदूराम, बंशीलाल, नानूराम, लालाराम, चंदालाल,/राम, धननालाल पि॰लच्छा जाति जाट सा॰देह॰ काश्तकार के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक : 1-2-90 को जारी किए गए जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस धन्नालाल पुत्र लच्छा को तामिल हो चुका है। तत्पश्चात खातेदारान को दिनांक 25-3-91 को जि0 ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जो डाकघर से लेने से मना की रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हुए एवं दिनांक 25-3-91 को एक नोटिस फिर जारी किया गया जो मोहनलाल और गैदीलाल द्वारा प्राप्ति की रिपोर्ट के बाद वापिस प्राप्त हुये। तब भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दो समाचार-पत्रों दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स में धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 11-6-91 को प्रकाशित करवाई गई फिर भी अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 337/88 ख॰न॰ 52,54,55,91,42/113,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,30,32,54,31,55,91,51%-

में
•धारा 6 के राजस्थान राज पत्र/खसरा नम्बर 30,33,52,42/113 काश्तकार रामप्रताप पुत्र नारायण जाट सा॰ देह के नाम दर्ज है।ख॰न॰ 32,34,35,36, 37 38,39,40,41,42,43,44,47,48,49 काश्तकार मोहनलाल पुत्र नारायण 1/2 काना पुत्र नारायण दत्तक पुत्र चुन्नीलाल 1/2 जाति जाट के नाम दर्ज है। व ख॰न॰ 54 खातेदार रामप्रताप , लल्लुराम पुत्र नारायण जाति जाट के नाम दर्ज है और खसरा नम्बर 31,54,58,91 काश्तकार लल्लुराम पुत्र नारायण के नाम दर्जहै। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारीकिया गया जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस तामिल कराया गया। तत्पश्चात दिनांक 22-4-91 को धारा 9 व 10 का नोटिस जारी किया एवं रजिस्टर्ड ए0 डी0 द्वारा भेजे गये फिर भी खातेदारान /हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 11-6-91 को दो दैनिक समाचार-पत्रों के माध्यम से दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स में सूचना प्रकाशित कराई गई। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। 91 दिनांक12-6-9 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

क्रमशः:—8/पर——

मुकदमा नम्बर 366/88 | खसरा नम्बर 105/140, 105/144 :-
347/88

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 105/140 एवं 105/144 में मोहरिया पुत्र बोयता जाति बलाई साकिन कारतकार के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के भाई को नोटिस तामिल कराया गया। तत्पश्चात दिनांक 25/5/91 को नोटिस रजिस्टर्ड ए० डी० भी जारी की गई फिर भी उपस्थित नहीं हुए। दो दैनिक समाचार-पत्रों में नवभारतटाइम्स एवं दैनिक नवज्योति में 11-6-91 को प्रकाशन कराया गया इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 12-6-91 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नम्बर 348/88 खसरा नम्बर 105/138, 105/139 :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 105/138, 105/139 धूआ पुत्र छोटू जाति बलाई सा० देव कारतकार खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार का भाई भवानी पुत्र नानगा को तामिल करवाया गया। तत्पश्चात 25/5/91 को रजिस्टर्ड ए० डी० नोटिस भेजे गये। पोस्ट आफिस की रिपोर्ट लेने से मना के साथ वापस प्राप्त हुआ। खातेदारान के उपस्थित नहीं होने पर दो समाचार पत्रों में दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स में 11-6-91 प्रकाशन कराया गया।

क्रमशः—9/पर—

तत्पश्चात भी खातेदारान/हितधारान के उपस्थित नहीं होने पर दि0 12-6-91 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

मुकदमा नम्बर 334/88 ख0न0 86, 87 :-

धारा 6 के नोटिफिकेशन (गजट) मे खसरा नम्बर 86,87 चन्द्रा पुत्र बिरधा जाति जाट के नाम खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के नोटिस लेने से मना करने पर दो गवाहों के सामने चस्पा के नोटिस तामिल कराया गया। तत्पश्चात रजि0 ए0डी0 नोटिस दिनांक 26-3-91 को जारी किया गया जो लेने से मना की डाक रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त हुआ। हितधारी म्युचल हाउसिंग सोसायटी अमृतपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति को नोटिस रजि0 ए0डी0 भेजे गये तत्पश्चात भी कोई भी उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 11-6-91 को दो दैनिक समाचार-पत्रों मे दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स मे प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान व सोसायटी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं होने पर दिनांक 12-6-91 को खातेदारान/हितदारान के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

मुकदमा नम्बर 351/88 खसरा नम्बर 7 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे खसरा न0 7 छोटू पुत्र गंगाराम काश्तकार के नाम खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस स्वयं खातेदार को तामिल कराया गया। तत्पश्चात दिनांक 25-3-91 को रजि0 ए0डी0 नोटिस भेजा गया जो डाकघर की रिपोर्ट लेने से मना करने पर वापस प्राप्त हुआ। दिनांक: 11-6-91 को दो दैनिक समाचार-पत्रों मे दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स मे प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदार/हितदार अनुपस्थित रहे। तब दिनांक 12-6-91 को खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

मुकदमा नम्बर 365 खसरा नम्बर 106 :

धारा 6 के नोटिफिकेशन मे ख0न0 106 दुला, चन्दा, पि0 परसा के नाम खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9-10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के भाई भवानी पुत्र नानगा को नोटिस तामिल कराया गया। दिनांक 25-3-91 को धारा 9 व 10 का नोटिस दुबारा से जारी किया गया।

तामिल कुनिन्दा [redacted] की रिपोर्ट के अनुसार बिरधी चन्द्र पुत्र गणेश राम को तामिल करवाया गया तथा, 25/3/91 को रजिस्टर्ड ए०डी० नोटिस भी जारी किया गया। दिनांक: 11-6-91 को दो दैनिक समाचार-पत्रों में दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स में प्रकाशन करवाया गया। इसके बावजूद भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ। और दिनांक 12-6-91 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

मुकदमा नम्बर 349/88 खसरा नम्बर 105, 105/137:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 105, 105/137 भवानी पुत्र नानगा कौम बलाई के कास्तकार के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस स्वयं खातेदार को तामिल कराया गया तथा 26-3-91 को रजिस्टर्ड ए०डी० नोटिस जारी किया गया। दिनांक 11-6-91 को जो दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स में प्रकाशन कराया गया इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 12-6-91 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

मु.नं. 330/88, [redacted] 336/88 खसरा नं023, 24 29

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 23, 24, 29 मन्नूराम, मूलचंद, रघुनाथ, जगदीश, पाबूराम पिता घीस्या राम जाति माली काश्तकार की खातेदारी के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया। जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार सहखातेदार पाबूराम पुत्र घासीराम ने प्राप्त किया। तथा 25/3/91 रजि० ए० डी० नोटिस भी जारी किया गया। जो हितधारी म्युचवल हाउसिंग सोसायटी को भी रजि०ए०डी० नोटिस जारी किया गया। जो तामिल पश्चात प्राप्त हुआ। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। तदुपरान्त दिनांक 11-6-91 को दो दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स में भी प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 12-6-91 को खातेदारान/हितदारान के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। खातेदार द्वारा दिनांक 17-6-91 को क्लेम पेश किया। इसके पूर्व ही खातेदार के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई थी। इसलिए इस पर अब विचार किया जाना संभव नहीं है।

क्रमशः 11

मुकदमा नम्बर 358/88 ख•न• 50 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे खसरा नं0 50 नारायण पुत्र गणेश 1/3 रामप्रताप, नत्थुराम पुत्र नारायण 2/3 जाति जाट सा• देव खातेदार के नाम खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया। जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस स्वयं खातेदार को तामिल कराया गया। तत्पश्चात दिनांक 22-4-91 को दुबारा से नोटिस जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार हरिनारायण को तामिल कराया गया है तथा रजि0 ऐ0डी0 नोटिस भेजा गया। मंत्री, म्युचवल हाउसिंग सोसायटी को भी तामिल कुनिन्दा एवं रजि0ऐ0डी0 द्वारा नोटिस भेजा गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस सोसायटी के प्रतिनिधि को तामिल कराया गया। तथा दो समाचार पत्रों मे दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स मे प्रकाशन कराया गया। तत्पश्चात भी खातेदार व सोसायटी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 12-6-91 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश अमल मे लाये गये।

मुकदमा नं0 332/88 ख•न• 1 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे खसरा नं0 1 गोपाल, नानगा पुत्र किशना सा•देव के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियमकी धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया। जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदार के भतीजे को तामिल कराया गया तथा दुबारा नोटिस 25-3-91 को तामिल हेतु एवं रजि0ऐ0डी0 द्वारा भेजा गया तथा दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स मे प्रकाशित कराया गया। इसके बावजूद भी कोई उपस्थिति नहीं हुए। अतः दिनांक 12-6-91 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

मुकदमा नम्बर 368/88 ख•न• 105/143 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे खसरा नं0 105/143 श्रीमती प्यारली देवी, पत्नी श्योबक्स बलाई के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 का नोटिस दिनांक 12-11-90 को जारी किया जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के भाई को तामिल कराया गया। तत्पश्चात रजि0 ऐ0डी0 नोटिस जारी किया गया। डाकिया की रिपोर्ट के अनुसार लेने से मना करने पर वापस प्राप्त हुआ। प्रार्थी दिनांक 5-6-91 को क्लेम पेश करने के बजाय प्रार्थना-पत्र मे अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त करने के बाबत मे पेश किया तथा पंचायत के पट्टे की नकल भी पेश की जो प्रमाणित नहीं है इनकी यह प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है। इसके बाद मे दावेदार उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 11-6-91 को दो दैनिक समाचार-पत्रों मे दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स मे प्रकाशित कराया गया। इसके बावजूद

----13/पर----

पत्नी हनुता कास्तकार खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदार के भाई को तामिल कराया गया तथा दिनांक 26-3-91 को रजि0 ऐ0डी0नोटिस जारी किया गया जो डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार लेने से मना, वापस प्राप्त म्यूचवल हाऊसिंग सोसायटी को भी रजि0 ऐ0डी0 नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 11-6-91 को दो समाचार-पत्रों मे दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स मे प्रकाशित कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदार/हितधारी व समिति की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 12-6-91 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

<u>मुकदमा नम्बर 353/88 ख०न० 96/121:</u>

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे ख०न० 96/121 कल्याण पुत्र श्री छोटू काश्तकार के नाम खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार स्वयं को तामिल कराया गया है तथा रजि0 ऐ0डी0 भी नोटिस जारी किया गया जो डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार लेने से इंकार वापस प्राप्त हुआ। इसके बाद मे दो दैनिक समाचार पत्रों मे दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स मे प्रकाशित कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदार/हितधारान उपस्थित नहीं हुए। खातेदारान/हितधारान के खिलाफ दिनांक : 12-6-91 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई।

<u>मुकदमा नम्बर 363/88 ख०न० 96/124:-</u>

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे खसरा नम्बर 96/124 भूरी पुत्र कालू जाति मीना के नाम के खातेदारी मे दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 1-12-90 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से मना करने पर सार्वजनिक स्थान, दो गवाहों के सम्मुख चस्पा कराया गया। दिनांक 28-3-91 को तामिल कुनिन्दा रजि0 ऐ0डी0 नोटिस जारी किया गया तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व खातेदार को नोटिस तामिल कराया गया तथा रजि०ऐ०डी० नोटिस डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तकर्ता की मृत्यु होना बताया है तथा दो समाचार-पत्रों मे दिनांक 11-6-91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स मे प्रकाशित कराया गया । इसके बावजूद भी खातेदार व हितदार उनके कोई वारिस उपस्थित नहीं हुए अत: उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। खातेदार के वारिसान को स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमा, मे सार्वजनिक नोटिस भी तामिल कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड व ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये व चस्पा कराये गये।

<u>मुआवजा निर्धारण :-</u>

जहां तक पृथ्वीराज नगर योजना मे मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6(15)नविआ/87 दिनांक 1-1-89द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य-

-----14/पर-----

[illegible]र द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजे की राशि का निर्धारण नहीं किया गया । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, जयपुर एवं सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को भी निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र करवी जावेगी । इसके उपरान्त समय-2 पर आयोजित मिटिंग में भी मुआवजा निर्धारण के लिये निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियेशन नहीं किया गया ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-2 पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रियों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन वर्ष 1988 को हुआ था । [7-7-88] इसलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहाँ तक उपरोक्त धारा 10 के खातेदारान/हितधारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एकतरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितधारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितधारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठा ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिये भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया । जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्र.टी.डी आर/91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया है कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम किशन-बाग तहसील जयपुर में 20,000/- प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था, इसलिए जहाँ तक उनके पक्ष का संबंध है वह दर उचित है ।

इसी इस संबंध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार तहसील जयपुर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जयपुर [विकास प्राधिकरण] ने अपने यू.ओ.नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा तहसील जयपुर में धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड [illegible] जारी किये गये । एवं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है ।

जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000/- प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ती

नहीं होगी । क्योंकि कुछ समय पूर्व ही न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं ।

अतः इस मामले में भी इस भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत अवार्ड पारित करने के लिये दो वर्ष की समयावधि नियत है । लेकिन खातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस, तामील मुनिन्दा, रजि0 ए0डी0 एवं समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते इसलिये एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

जहाँ तक पेड़ पौधों, मकान, कुएं एवं भूमि पर जो स्ट्रक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई तखमीना पेश नहीं किया गया है और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकि रूप से अनुमोदित तखमीने पेश किये गये हैं । ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर [यदि कोई हो] के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । इसका निर्धारण बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनीकि अनुमोदित तखमीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा ।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना एवं हकियत दस्तावेजात पेश करने पर ही दिया जावेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "प" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग, के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है ।

केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 [1] - ए एवं 23[2] के अंतर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30% सोलेशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी । जिसका निर्धारण परिशिष्ट "प" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है ।

अतिरिक्त निदेशक[प्रशा0] सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि पृथ्वी राज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुल सीमा में सम्मिलित है एवं सीलिंग अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह भी सूचना नहीं दी है कि सीलिंग अधिनियम की धारा 10[3] की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जा रहे हैं ।

यह अवार्ड आज दिनांक 19.6.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है ।

संलग्न :परिशिष्ट"प"
गणना तालिका

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें, जयपुर ।

द्वारा सरकार के पत्र संख्या एस० 6115/आई०-
87 दिनांक 25/7/91 के, द्वारा यह आराजी
अनुमोदन होने के पश्चात हो जाता है और गाटा संख्या
नम्बर 3393/91 के द्वारा खसरा नम्बरान
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 91, 42/113
तथा और गाटा संख्या नम्बर 3652/91 के द्वारा
खसरा नम्बर 83, 84, 85, 88, 92, 95/2, 86
87, ता आराजी घोषित न करने के
लिये वाद विचाराधीन है तथा इसी
आराजी के शामिल खसरा नम्बरान 61, 63,
68, 70, 71, 72, 73, 89, 90, 67, 13, 96/122, 96/123,
56, 58, 62, 79, 56/114, 51, 96/121, 57, 59, 60, 75,
66, 76, 77, 78, 80, 14, 15, 16, 21, 105/143, 1, 65,
66/115, 23, 24, 29, 105, 105/137, 106, 105/135
105/139, 105/140, 105/144, 96/124, को आराजी
आज दिनांक 25/7/91 को गैर [illegible]
घोषित किया जाता है। पक्षों को सूचित
किया जाय। आराजी की एक प्रति [illegible]
[illegible] व सचिव न० नि० प्र० को [illegible]
जाये। [illegible]
की धारा 10(क) के तहत की गई है। [illegible]
है।

परिशिष्ट "ए" मुआवजा तालिका ग्राम - [illegible]

क्र.सं.	नाम खातेदार/हितदार	ख० नं०	रकबा बी० बि०	भूमि का मुआवजा दर प्रति बीघा	भूमि का मुआवजा	सोलेशियम 30 %	अतिरिक्त 12 %	कुल योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	भैरोलाल, गुलाबराम, बोदूराम	61	00-02					
	बन्नालाल, नाथूराम, लालाराम	63	00-10					
	भंवरराम, कन्हैयालाल, पुत्रान	68						
	जाट 1/3, हनुमान पुत्र	70						
	रघुनाथ 1/3, बोदनी बेवा	71	38-09					
	[illegible] जाट 1/3 गा०देह	72						
	खातेदार	73						
		89	04-10					
		90	00-01					
			43-12	24,000/-	10,46,400/-	3,13,920/-	3,70,740/-	17,31,060/-
0.	[illegible]							
2.	नारायण पुत्र [illegible] जाट गा० देह	67	21-11	24,000/-	5,17,200/-	15,[illegible],#60/-	1,35,244/-	8,55,604/-
3.	[illegible], [illegible], [illegible] पि० [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] 1/4 [illegible] पु० [illegible] 1/2, [illegible] [illegible] [illegible] 1/4 [illegible] [illegible] के खातेदार	15	00-05	24,000/-	3,600/-	1,080/-	1,275/-	5,955/-

—/—

	2•	3•	4•	5•	6•	7•	8•	9•
4•	कल्याण पु• गरिबा 1/4 ओंद पु• रामदेवा 1/4 भूरी पु• गाडू 1/4 गिरधारी पु• लक्ष्मीनारायण 1/4	95/122	00-02					
		96/123	00-03					
			00-05	24,000/-	6,000/-	1,800/-	2,126/-	9,926/-
5•	गंदीलाल, मुन्नाराम, बांकुराम, बंशीलाल, नाथूराम, लालाराम, बंदरलाल, रामकृष्णालाल पि• नवला जा• जाटवा• देह	56	02-04					
		58	02-14					
		62	01-01					
		79	02-14					
		56/114	00-02					
					2,10,000/-	63,000/-	~~74,###/-~~ 744031	~~3,##,###/-~~ 3,47,4031
			8-15	0,00,000/-	60,000/-	8,88,85?/-		
6(1)	रामप्रताप पुत्र नारायण जाति जाट गा• देह	30	10-15					
		33	6-05					
		32	14-19					
		42/113	0-01					
			32-04	8,28,800/-	7,72,800/-	2,31,840/-	2,73,803/-	12,78,443/-
			0-05					
(2)	मांगीलाल पु• नारायण 1/2 सारा पु• नारायण बल्लाड पुरुषोत्तम 1/2 जा• जाट	32 (37)	7-16					
		34	4-11					
		35	7-08					
		36						
		33	3-15					
		39	0-04					

—3/पृ—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6[2]	" "	40	0-11					
		41	0-03					
		42	0-12					
		43	5-18					
		44	1-06					
		47	1-03					
		48 49	64-14					
			32-09	24,000/-	9,22,800/-	2,76,340/-	3,26,948/-	15,26,588/-
	[3] रामलाल पुत्र अन्नुराम पुत्र नारायण जाट नि० बागर	34	0-01					
			0-01	24,000/-	1,200/-	360/-	425/-	19,857/-
	[4] अन्नुराम पुत्र नारायण जा० देव	31	18-15					
		51	6-08					
		35	5-12					
		91	2-15					
			34-08	24,000/-	8,25,600/-	2,47,680/-	2,92,510/-	13,68,790/-
7.	कल्याण पुत्र ओंट	96/121	0-05	24,000/-	3,600/-	1,080/-	1,275/-	5,956/-

क्रमश:——4/पर——

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8. श्रीमती वोक्नी बेरा मुना	57	04-13					
	59 / 60	02-10					
	75	01-12					
		8[illegible] 19	24,000/-	2,10,0[illegible]0/-	63,[illegible]0/-	74,403/-	3,47,403/-
9. हनुमान पु० रघुनाथ ना०नाट	56	00-09					
	76	02-17					
	77 / 73	01-05					
	80	0-09					
		12-18	24,0[illegible]0/-	4,77,600/-	14,32, 80/-	[illegible],69,213/-	7,90,093/-
10. मानका पु० शिवाज वा०माली	14	00-03					
	15	00-01					
	16	03-18					
	21	04-16					
		8-18	24,000/-	2,13,600/-	64,080/-	75,678/-	3,53,358/-
11. श्रीमती म्यारसी देवी पत्नी दयोवक कमाई धारी पु० यको उजा०	105/143	00-05	24,000/-	6,000/-	1,800/-	2,126/-	9,926/-
12. बानथा नानका पु० शिवाज माली	1	01-19	24,000/-	46,800/-	14,040/-	16,581/-	77,421/-

	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	चंदा पुत्र फिरता 2/3 कादोरा रामअवतार, गोपाल, पि॰ राम- नारायण कौम जाट	60	00-16					
		33	00-05					
		34	00-11					
		39	00-02					
		33	03-07					
		92	03-10					
		95/2						
		66/115	00-02					
			21-13	24,000/-	5,19,900/-	1,55,880/-	1,84,094/-	8,59,574/-
14.	नारायण पु॰ गणेश, मन्नु- राम, रामप्रताप, पु॰ नारायण पि॰ 2/3	30	06-15	24,000/-	1,62,000/-	48,600/-	57,397/-	2,57,997/-
15.	मन्नूराम, मुकंद, रघुराम, कादोरा, पांडुराम, पु॰ जोरया जाति माली सा॰ देह	23	01-04					
		24	02-00					
		29	7-10					
			10-14	24,000/-	2,56,800/-	77,040/-	90,984/-	4,24,824/-
16.	भवानी पु॰ नानगा कमाई	105	00-11					
		105/137	00-01					
			00-12	24,000/-	14,400/-	4,320/-	5,102/-	23,822/-

क्रमश: ---6/पर---

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17. जोद पु. [illegible]	7	01-14	24,000/-	40,300/-	12,240/-	14,455/-	67,495/-
18. [illegible] पु. [illegible] कमाई	106	29-14	24,000/-	6,16,000/-	1,85,040/-	2,13,532/-	10,20,372/-
19. [illegible] पु. [illegible]	86 87	02-01 02-19 05-00	24,000/-	1,20,000/-	36,000/-	42,516/-	1,98,516/-
20- भूरा जोद कमाई सा. देव	105/138 105/139	00-01 00-06 00-07	24,000/-	8,400/-	2,520/-	2,976/-	13,896/-
21. मोहरिया पु. [illegible] बा. [illegible] देव	105/140 105/144	00-01 00-05 00-06	24,000/-	7,200/-	2,160/-	2,551/-	11,911/-
22. [illegible] पु. [illegible] सा. देव	96/124	00-03	24,000/-	3,600/-	1,080/-	1,275/-	5,955/-

नोट:- (1) [illegible] 30 % [illegible] नं. 6 पर [illegible] राशि पर दिया गया है।
(2) [illegible] राशि 12 % की [illegible] धारा 4 (1) का [illegible] दिनांक: 7.7.88 से 10.6.91 तक की गई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
[illegible] विकास [illegible], जयपुर
[illegible] विकास प्राधिकरण भवन, जयपुर।